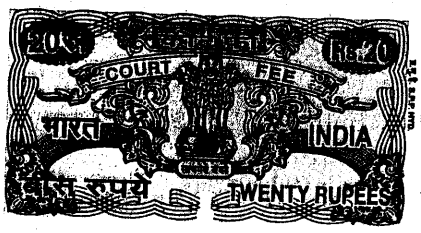

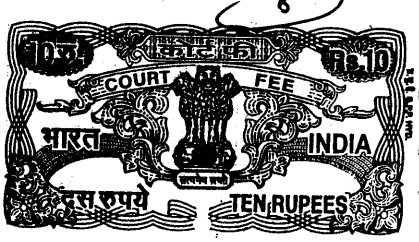

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

RU12-I/17

सुरेन्द्र सिंह पिता वीरसिंह दांगी
निवासी मेनवारा कलां तह. राहतगढ़
जिला सागर (म०प्र०)

.....आवेदक

//विरूद्ध//

म०प्र० शासन

....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत् धारा–50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक ने न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर जिला सागर (म.प्र.) के प्रकरण क्रमाँक 43/अ/6(अ)/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 06–12–2016 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:–

यह कि प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आवेदक के पिता वीरसिंह दांगी निवासी ग्राम मेनवारा कलां तहसील राहतगढ़ जिला सागर, द्वारा तहसीलदार राहतगढ़ के समक्ष आवेदन पेश किया गया कि आवदेक के नाम से मौजा मैनावारा कलां प०ह०न० 34 तहसील राहतगढ़ जिला सागर में बंदोबस्त पूर्व भूमि खसरा नंबर 323, 328, 329, 316, 311, 320, 321, 322, 309 थे, नये खसरा नंबर 481, 505, 507, 513, 482, 480 पटवारी अभिलेख में दर्ज है। उक्त खसरा नंबर की भूमि में बदोबस्त पूर्व कोई रास्ता नहीं था, परंतु बंदोबस्त बावत् उक्त खसरा नंबर की भूमि के नक्शा में रास्ता हो गया आवेदक द्वारा उक्त खसरा नंबर की भूमि के नक्शा पर रास्ता हटाकर नक्श दुरूस्त किए जाने बावत् आवेदन तहसीलदार राहतगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसमें सम्पूर्ण प्रतिवेदन एवं जांच के उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त किए जाने से यह निगरानी सम्मानीय न्यायालय के समक्ष विधिवत रूप से प्रस्तुत की जा रहीं है।

2. यह कि, आलोच्य आदेश प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य एवं व्याप्त कानूनी सिद्धांतो के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 412-I/17 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1.2.17	1— आवेदक की ओर से अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव उपस्थित एवं अनावेदक शासन की ओर पैनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्षों अधिवक्तागण के तर्क सुने। मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी न्यायालय अपर कलेक्टर जिला सागर के प्रकरण क्रमांक 43/अ/6(अ)/2016—17 मे पारित आदेश दिनांक 06.12.2016 के विरूद्व म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 2— आवेदक एवं अनावेदक अधिवक्ताओं के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश, आर्डरशीट एवं संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा नक्शा में निर्मित रास्ते को हटाकर नक्शा दुरूस्त किए जाने हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसमें आर्डरशीट दिनांक 25.02.2015 में राजस्व निरीक्षक पटवारी एवं प्रभावित पक्षकारों के कथन लिए जाकर यह पाया गया है कि बंदोवस्त के पूर्व कोई रास्ता निर्मित नहीं था। इसी प्रकार स्थल की रिपोर्ट दिनांक 24.05.2015 जिसमें पूर्व से रास्त न होने तथा बंदोबस्त होने के बाद त्रुटिवश रास्ता निर्मित होने का उल्लेख किया गया है जिसका उल्लेख तहसीलदार के प्रतिवेदन में भी किय गया है। ग्रामहित में उभयपक्ष की सहमति के आधार पर त्रुटिवश निर्मित रास्ते को विलोपित किए जाने में किसी भी प्रकार की कोई वैधानिक अड़चन नहीं है। इस कारण अपर कलेक्टर सागर द्वारा प्रश्नगत आदेश वैद्य नहीं पाता हूँ। 3— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है अपर कलेक्टर सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2016 निरस्त किया जाता है। तथा तहसीलदार के प्रतिवेदन दिनांक 20.10.2015 के अनुसार निर्मित रास्ता विलोपित करने के निर्देश दिए जाते है। तदानुसार प्रकरण निराकृत किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (हस्ताक्षर) सदस्य	